परिशिष्ट-एक

शिक्षकों को उक्त नियम कड़ाई से पालन करने के तत्काल निर्देश दिये जावें साथ ही यदि शिक्षकों द्वारा नियम विरुद्ध ट्यूशन किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती है, तो उनकी जांच कर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में प्रावधानित नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

सही/हस्ताक्षर/संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

29. परीक्षाओं में बैठने की अनुमति— (1) परीक्षाओं या शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने की अनुमति परिशिष्ट (2) में दिये गये अधिकारी के अंतर्गत प्रदत्त होगी।

(2) यह स्वीकृति निम्न शर्तें पूरी करने पर ही दी जायेंगी :—

(1) स्वीकृति सिर्फ उन्हीं विषयों को दी जावेगी, जो कि शिक्षा के कार्य में सहायक हो,
(2) 15 जुलाई को विभाग में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, (मुद्रलेखन एवं शीघ्र लेखन परीक्षा हेतु यह शर्त लागू नहीं होगी;
(3) कार्य एवं आचरण सन्तोषप्रद हो;
(4) कार्यपालन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो;
(5) परीक्षाकाल में अध्ययन हेतु कोई अतिरिक्त अवकाश न लिया जावे;
(6) अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन, संबंधित अधिकारी को प्रति वर्ष, 30 जुलाई के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो।

(3) **स्वीकृति हेतु प्रावधान**— संबंधित अधिकारी स्वीकृति देते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देंगे :—

(1) आवेदन पत्रों का परिणाम, 15 अगस्त के पूर्व दे दिया जाय;
(2) शिक्षक वर्ग को 20 प्रतिशत एवं कर्मचारी वर्ग को 10 प्रतिशत से अधिक स्वीकृति न दी जावे;
(3) जो संबंधित सत्र में अनुत्तीर्ण हो गये हों, उन्हें सामान्यतः नये आवेदन के ऊपर स्वीकृति न दी जाय;
(4) शिक्षक के पिछले वर्ष के वार्षिक परीक्षा परिणाम संतोषप्रद हों;
(5) अनुमति देते समय सेवा में वरिष्ठता को प्रधानता दी जाय।

(4) (1) पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के लिये यह स्वीकृति जिला शिक्षा अधिकारी देंगे;
(2) उच्चतर माध्यमिक शालाओ के शिक्षकों के लिये यह स्वीकृति शाला के प्राचार्य देंगे;
(3) कर्मचारी वर्ग को यह स्वीकृति सम्बन्धित कार्यालय के अधिकारी देंगे;
(4) क्रमांक (1), (2) एवं (3) से संबंधित अभ्यावेदन पर निर्णय सम्भागीय शिक्षा अधीक्षक करेंगे जो अंतिम होगा;
(5) राजपत्रित अधिकारियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति संचालक, लोक शिक्षण देंगे;
(6) अभ्यावेदनों का निर्णय, 15 सितम्बर के पूर्व ले लिया जायेगा।

मध्यप्रदेश शासन

शिक्षा विभाग के पत्र

क्रमांक 410/462/1 (3) 72 भोपाल, दिनांक की प्रतिलिपि संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश क्रमांक विद्या ई/1-46/72 भोपाल, दिनांक 27-7-72 द्वारा इस कार्यालय को।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन के पृ.
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट-दो

(13)

कार्यालय प्राचार्य/जॉच अधिकारी शास0 मार्तण्ड उ0 मा0 वि0 क्र0-1(उत्कृष्ट) जिला रीवा (म0प्र0)

e-mail martand1rwa@yahoo com.
फोन- 07662-256717 फैक्स-07662-253429

क्रमांक/2012/जॉच/76 रीवा दिनांक- 27/06/2012

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा (म0प्र0)

विषयः- श्री देवेन्द्र कुमार पाठक प्राचार्य शा.कन्या हाई स्कूल डभौरा जिला रीवा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत का जॉच प्रतिवेदन।

संदर्भः- भवदीय कार्या. के पत्र क्र./सर्त./जॉच/राज/12/1692 रीवा दिनांक-02/06/12

2781
28.6

विषयांतर्गत शिकायत संदर्भित पत्र से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्राप्त हुई है प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय से पत्र जारी कर संबंधिजन को जॉच स्थल में अभिलेखो के साथ दिनांक-14/06/12 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये तदानुसार श्री पाठक नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित आये भवदीय कार्यालय से प्राप्त शिकायत में लिखित बिन्दुओं के संबंध में प्रश्नावली तैयार कर उनसे जवाब चाहा गया है।

शिकायतकर्त्ता ने श्री पाठक के विरुद्ध बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किये एम.एस.सी. (भैतिक शास्त्र) की डिग्री हासिल तथा निमित रुप से विद्यालय में उपस्थित रहकर एंव महाविद्यालय में भी नियमित रुप से प्रीवीएस एवं फाइनल की परीक्षा दी है ऐसा शिकायतकर्त्ता का लेख है ।

उपरोक्त शिकायत के संबंध में दिये गये प्रश्नावली के जवाब में श्री पाठक ने लेख किया है कि मेरी प्रथम नियुक्ति 05/02/1987 की है तथा नियुक्ति कें समय मेरी शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. (गणित) है तथा एम.एस.सी. (प्रथम वर्ष भौतिक शास्त्र) में अध्ययनरत रहा हूँ नियुक्ति के पूर्व ही श्री पाठक एम.एस.सी. प्रीवीएस में अध्ययनरत थे जिसके लिए योग्यतावृद्धि हेतु नियुक्ति पश्चात प्राचार्य से अनुमति ले-ली थी तथा परीक्षा के दौरान अवकाश ले कर ही प्रीविएस की परीक्षा संबंधीजन ने दी है नियुक्त प्राप्त होने के बाद श्री पाठक एम.एस.सी. फाइनल की परीक्षा वर्ष-1987-1988 में प्राचार्य शास. उ.मा.वि. धनपुरी से अनुमति प्राप्त कर दी है। श्री पाठक स्थानांतरित हो कर शा.पू.मा.वि. धोपखरी उपस्थित हुए तथा उसी समय श्री पाठक शा. मार्तण्ड क्र.1 में आसंजित हो कर नियमित अध्यापन किया व परीक्षा में सम्मिलित हुए इस हेतु आवेदक पाली प्रभारी प्राचार्य तत्कालीन से अनुमति प्राप्त की थी ।

श्री पाठक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो के अवलोकन से पाया गया कि परीक्षा के दौरान एवं नियमित कक्षा में उपस्थित के समय वे अवकाश पर थे तथा अवकाश का हक शेष न होने के कारण एल.डब्लू.पी. स्वीकृत किया गया । साथ ही मार्तण्ड एक में आसंजन के समय अनुमति से नियमित अध्यापन कार्य किया । जो ~~सेवा पुस्तिका की~~ छाया प्रति संलग्न की है ।

<u>जॉच निष्कर्ष-संक्षिप्त विवरण</u>

श्री पाठक के विरुद्ध शिकायत जॉच में निष्कर्ष यह है कि संबंधीजन की पदस्थापना शा.पू.मा.वि. धोपखरी में थी और वहॉ से संबंधीजन शा0 मार्तण्ड उ0 मा0 वि0 क्र0-1 रीवा में आसंजित थे प्रथम पाली में शिक्षण कार्य करते थे द्वितीय पाली में कक्षाओं में सम्मिलित होते रहे । अवकाश का हक न होने के कारण एल.डब्लू.पी. स्वीकृत किया गया है जिससे संबंधीजन को दोषी पाया जाना प्रतीत नही होता अस्तु जॉच प्रतिवेदन संलग्न मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत है ।

संलग्न- प्रश्नावली सलग्न

प्राचार्य
शा0 मार्तण्ड उ0 मा0 वि0 क्र0-1
(उत्कृष्ट विद्या0) रीवा (म0प्र0)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल